

तारीख  
हुक्म

जरिह शर्हीनामा प्राथमिक रूप से डिक्ली किया जाता है। निर्णय व प्राथमिक डिक्ली पर्चा जारी कर शामिलदार पत्रावली किया जाता है। तहसीलदार जोधपुर को पत्र जारी कर प्राथमिक डिक्ली पर्चा अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव अगामी तारीख पेशी 25.2.2021 से पूर्व भिजवाए जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 25/2 को इंतजार बंटवाडा प्रस्ताव हेतु पेश हो।  
@paruch

25/2/21 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार जोधपुर बंटवाडा प्रस्ताव इंतजार हेतु दिनांक 17/3/21 को पेश हो।  
@paruch

17/3/21 पत्रावली आज पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्तु तहसीलदार जोधपुर बंटवाडा प्रस्ताव इंतजार हेतु पत्रावली दिनांक 24/3/21 को पेश हो।  
@paruch

24/3/21 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार जोधपुर बंटवाडा प्रस्ताव इंतजार हेतु पत्रावली दिनांक 09/4/21 को पेश हो।  
@paruch

09/4/21 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार जोधपुर से प्राथमिक डिक्ली की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे रेकॉर्ड पर लिया गया। पक्षकारान की प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर मुनवाई की गई। अभयपक्ष

(डा. म. म. म. 1534)  
K. M. M.  
जोधपुर  
अभियंता  
अभियंता

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

मुकाम

बनाम

मुकदमा

नं.

सन

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

विद्वान अधिवक्तागण द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया। हमने प्रस्तुत पत्रावली, प्राथमिक निर्णय एवम् पी डी अनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया तथा अभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण के निवेदन पर मनन किया। विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। ऐसी स्थिति में प्राथमिक निर्णय अनुसार अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः अभयपक्षकारान का बंटवाडा जरिचे वि नियम राजीनामा स्वीकार किया जाकर आवेश पारित किया गया। अंतिम निर्णय व डिक्री पचा प्रथक से जारी किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर एक से कम होकर दारखत दफतर है।



@parwal